



स्थापना वर्ष 2005

## कार्यालय रजिस्ट्रार

## नचिकेता कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी

कचनार सिटी रोड, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा स्थायी संबद्धता प्राप्त

(मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त)

क. / कार्या. रजि. / 568

दिनांक : 08/04/2021

अधिसूचना

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग म. प्र. शासन सतपुडा भवन भोपाल के पत्र क./500/142/आउशि/शा-5'अ'/2021 द्वारा प्राप्त आदेश अनुसार वर्तमान समय में कोरोना (कोविड-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन स्थगित किया जाता है।

समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात् शेष प्रायोगिक परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

नचिकेता महाविद्यालय

अधि.कं. / 568-अ / कार्या. रजि. / जबलपुर दिनांक 08.04.2021

प्रतिलिपि-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी शिक्षण विभाग, नचिकेता महाविद्यालय।
2. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ, नचिकेता महाविद्यालय।
3. सचिव, स्टाफ काउंसिल, नचिकेता महाविद्यालय।
4. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, नचिकेता महाविद्यालय।
5. कीडाधिकारी, नचिकेता महाविद्यालय।
6. बेवसाइट प्रभारी, नचिकेता महाविद्यालय।
7. ग्रंथपाल, नचिकेता महाविद्यालय।
8. कार्यालय अधीक्षक, नचिकेता महाविद्यालय।
9. कार्यालय प्रभारी, नचिकेता महाविद्यालय।

रजिस्ट्रार

नचिकेता महाविद्यालय

8/4/2021.

Mr. D. Tirpathi  
1/c Dept of Computer

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 500/142/आउशि/शा-5'अ'/2021  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07-04-21

1. कुलसचिव,  
समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश।

विषय— सत्र 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ— (1) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 147/188/2020/38-3, भोपाल, दिनांक 01.02.2021
- (2) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, वल्लभ भवन, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 528/605/2021/38-3, भोपाल, दिनांक 31.03.2021

—0—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर समस्त प्रायोगिक परीक्षा मार्च-2021 तक आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित आदेश क्रमांक 02 के बिन्दु क्रमांक 3 के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020-21 में प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर अंक दर्ज किया जाने है।

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुई हैं। वर्तमान समय में कोरोना (कोविड-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन स्थगित रखा जाए।

संदर्भित आदेश क्रमांक 02 में उल्लेखित स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात् शेष प्रायोगिक परीक्षा का शीघ्र आयोजन किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा में विश्वविद्यालयों को अंक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल  
भोपाल, दिनांक 07-04-21

क्रमांक: 501/142/आउशि/शा-5'अ'/2021  
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
  6. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
  8. निज सहायक, कुलपति, समस्त पारंपरिक एवं निजी विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
  9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  10. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
  11. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
- .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल